व्यक्तियों की तस्करी क्या होती है?

व्यक्तियों की तस्करी, जिसे आधुनिक गुलामी या मानव तस्करी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सेक्स के लिए तस्करी और श्रम के लिए मजबूर करना दोनों शामिल है। ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ़ 2000 (2000 का मानव तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम), यथा संशोधित (TVPA), और प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट (रोकथाम के लिए नियम), सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (मानव तस्करी को दबाना और दंड देना), खासकर महिलाओं और बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (पलेरमो प्रोटोकॉल) पूरक के साथ इस मजबूरी में की गई सेवा का वर्णन अलग-अलग शब्दों में करता है, जिसमें अनैच्छिक दासता, गुलामी या दासता से संबंधित प्रथाएँ, ऋण बंधन और श्रम के लिए मजबूर करना शामिल है।

मानव तस्करी में यह गतिविधि शामिल हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं। TVPA के तहत, लोगों को मानव तस्करी पीड़ित माना जा सकता है फिर चाहे उन्हें शोषणकारी परिस्थिति में ले जाया गया था, पहले एक तस्कर के लिए काम करने के लिए सहमत थे, या अवैध रूप से तस्करी होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने अपराध में भाग लिया था। इस घटना के मध्य में तस्करों का लक्ष्य अपने पीड़ितों का फायदा उठाने और उन्हें गुलाम बनाए रखने और उनके इस्तेमाल के लिए असुरक्षित और भ्रामक प्रथाओं का उपयोग करना है।

सेक्स के लिए तस्करी

जब कोई बालिग किसी व्यावसायिक यौन गतिविधि जैसे वेश्यावृत्ति में संलग्न होता है तो वह बल प्रयोग की धमकियां, धोखाधड़ी, दबाव या ऐसे तरीकों के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप तस्करी का शिकार होता है। ऐसी परिस्थितियों में, अपराधी जो किसी व्यक्ति की भर्ती, आबकारी, फंसाने, आवाजाही करने, प्रदान करने, प्राप्त करने, संरक्षण, सलाह या उस प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति को बनाए रखने में शामिल है, वे एक बालिग व्यक्ति की सेक्स के लिए तस्करी करने के अपराधी हैं। यौन शोषण एक विशिष्ट प्रकार के बलात्कार के माध्यम से भी हो सकता है जहां व्यक्तियों को गैरकानूनी "ऋण" के उपयोग के माध्यम से वेश्यावृत्ति में जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, कथित तौर पर उनके परिवहन, भर्ती, या यहां तक कि उनकी "बिक्री" के माध्यम से खर्च किया जाता है - जिसके बारे में शोषणकर्ता उन्हें मजबूर करते हैं कि इससे पहली कि उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें उसका भुगतान करना होगा। यहां तक कि अगर कोई बालिग व्यक्ति शुरू में वेश्यावृत्ति में भाग लेने के लिए सहमत होता है तो यह उस स्थिति में अप्रासंगिक है: यदि कोई बालिग व्यक्ति, सहमति देने के बाद, मनोवैज्ञानिक छल या शारीरिक बल के माध्यम से कार्यरत रखा जाता है, तो वह व्यक्ति तस्करी पीड़ित है और उसे पलेरमो प्रोटोकॉल और लागू होने वाले घरेलू कानूनों में रेखांकित लाभ प्राप्त होने चाहिए।

बच्चों की सेक्स के लिए तस्करी

जब किसी बच्चे को (18 वर्ष से कम आयु वाले) एक व्यावसायिक यौन संबंध बनाने के लिए नियुक्त किया, फंसाया गया, पहुंचाया गया, प्रदान किया गया, प्राप्त किया गया, संरक्षण दिया गया, निवेदित किया गया या उस प्रयोजन के लिए उसे बनाए रखा गया है तो उस अपराध के लिए मानव तस्करी के तौर पर मुकदमा चलाने के लिए बल, धोखाधड़ी, या ज़बरदस्ती को साबित करना ज़रूरी नहीं होता। इस नियम के कोई अपवाद नहीं है: कोई सांस्कृतिक या सामाजिक आर्थिक तर्कसंगत तथ्य यह नहीं बदलता है कि वे बच्चे जिनका वेश्यावृत्ति के लिए शोषण किया गया है, वे तस्करी पीड़ित हैं। वाणिज्यिक सेक्स व्यापार में बच्चों का उपयोग अमेरिकी कानून और दुनिया भर के अधिकतर देशों में कानून द्वारा निषिद्ध है। यौन तस्करी के बच्चों के लिए विनाशकारी परिणाम हैं, जिनमें लंबे समय तक स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात, बीमारी (एचआईवी/एड्स सहित), नशीली दवाओं की लत, अवांछित गर्भावस्था, कुपोषण, सामाजिक बहिष्कार और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है।

श्रम के लिए मजबूर करना

ज़बरदस्ती श्रम कराना, जिसे कभी-कभी श्रम तस्करी भी कहा जाता है, में भिन्न प्रकार के कार्यकलाप सम्मिलित हैं—भर्ती करना, आश्रय देना, लाना-ले जाना, प्रदान करना या प्राप्त करना—ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को काम करने के लिए विवश करने के लिए बल या शारीरिक धमकियों, मनोवैज्ञानिक ज़बरदस्ती, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती के किसी अन्य साधन का उपयोग करता है। जब किसी व्यक्ति के श्रम का ऐसे साधनों से शोषण किया जाता है, तब किसी नियोक्ता के लिए काम करने के लिए व्यक्ति की पूर्व सहमति कानूनी रूप से असंगत होती है: नियोक्ता तस्कर है और कर्मचारी तस्करी पीड़ित है। प्रवासियों को इस प्रकार की मानव तस्करी के लिए विशेष रूप से शिकार बनाया जाता है लेकिन व्यक्तियों को भी उनके स्वयं के देशों में श्रम के लिए विवश किया जा सकता है। ज़बरदस्ती या बंधुआ श्रम की महिला पीड़ितों, विशेष रूप से घरेलू गुलामी में महिलाओं और लड़कियों से प्रायः यौन दुर्व्यवहार और शोषण भी किया जाता है।

बंधुआ श्रम या ऋण बंधुआगिरी

यौन तस्करी और ज़बरदस्ती का श्रम - दोनों में तस्करों द्वारा उपयोग की जाने वाली ज़बरदस्ती का एक रूप बंधुआ या ऋण के रूप में जकड़ना है। कुछ कामगारों को ऋण विरासत में मिलता है; उदाहरण के लिए ऐसा अनुमान है कि दक्षिण एशिया में ऐसे लाखों तस्करी पीड़ित हैं जो अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। अन्य व्यक्ति तस्करों

या भर्तीकर्ताओं के शकिार बन जाते हैं जो रोज़गार की शर्त के रूप में जान-बूझकर या अनजाने में लिए गए आरंभकि ऋण का गैर-कानूनी रूप से दोहन करते हैं। उद्गम या गंतव्य देश, दोनों में तस्कर, श्रम एजेंसियाँ, भर्तीकर्ता और नियोक्ता कामगारों से भर्ती शुल्क और बेहद अधकि ब्याज दरें वसूल करके ऋण बंधुआगरिी में योगदान कर सकते हैं और इस प्रकार ऋण की अदायगी को असंभव नहीं, तो कठनि अवश्य बना सकते हैं। ऐसी परस्थितियिां रोज़गार-आधारति अस्थायी कार्य कार्यक्रमों के संदर्भ में उत्पन्न हो सकती हैं जनिमें गंतव्य देश में कसिी कामगार की कानूनी स्थतिि को नियोक्ता से संबद्ध कयिा जाता है जसिसे कामगारों को अपने कष्ट का नविारण करवाने में डर लगे।

घरेलू गुलामी

अस्वैच्छकि घरेलू गुलामी वशिष परस्थितियिों में पाई जाने वाली मानव तस्करी का रूप है-नजिी नविास में काम करना-जसिसे पीड़तिों के लिए अनूठे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक अपराध है जसिमें घरेलू कामगार अपना रोज़गार छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है और उससे दुर्व्यवहार कयिा जाता है और यदि कोई धन दयिा जाता है, तो वह बहुत कम होता है। बहुत से घरेलू कामगारों को वे मूलभूत लाभ और संरक्षण नहीं मलिते जो कामगारों के अन्य समूहों को सामान्य रूप से प्रदान कएि जाते हैं-अवकाश जैसी सामान्य चीज़ें। इसके अलावा, स्वतंत्र रूप से इधर-उधर जाने की उनकी योग्यता प्रायः सीमति होती है और नजिी घरों में रोज़गार उनका अलगाव और शकिार होने का खतरा बढ़ा देता है। श्रम अधकिारयिों को सामान्यतया नजिी घरों में रोज़गार परस्थितियिों का नरीक्षण करने का अधकिार नहीं होता। घरेलू कामगारों, वशिष रूप से महलिाओं, को सेक्स संबंधी और लगि-आधारति हसिा सहति दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण के वभिन्नि रूपों का सामना करना पड़ता है। एक साथ लिए जाने पर ये मुद्दे अस्वैच्छकि गुलामी की स्थतिि के लक्षण हो सकते हैं। जब कसिी घरेलू कामगार के नियोक्ता की कूटनीतकि स्थतिि होती है और उसे सविलि और/या आपराधकि अधकिार क्षेत्र से रक्षा प्राप्त होती है, तब घरेलू गुलामी का खतरा बढ़ जाता है।

ज़बरदस्ती बाल श्रम

हालाँकि बच्चों को काम के नश्चिति रूपों में कानूनी रूप से लगाया जा सकता है, फरि भी बच्चे गुलामी या गुलामी जैसी परस्थितियिों में भी पाए जा सकते हैं। कसिी बच्चे के ज़बरदस्ती श्रम के संकेतकों में ऐसी परस्थितियिाँ सम्मलिति हैं जनिमें बच्चा कसिी ऐसे गैर-पारविारकि सदस्य के संरक्षण में प्रतीत होता है जसिसे बच्चे से ऐसे काम करवाना अपेक्षति होता है जो बच्चे के परविार से बाहर के कसिी व्यक्ति को वत्तिीय रूप से लाभ पहुँचाता है और बच्चे को जाने का वकिल्प प्रदान नहीं करता, जैसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाना। तस्करी-रोधक कार्रवाइयों को बाल श्रम के वरिुद्ध परंपरागत कार्यों को पूरति करना चाहएि, इनका स्थान नहीं लेना चाहएि, जैसे सुधार और शक्षिा। जब बच्चों को गुलाम बनाया जाता है, तब उनके शोषणकर्ता आपराधकि सज़ा से बचने नहीं चाहएि-ऐसा तब होता है जब सरकारें ज़बरदस्ती बाल श्रम के मामलों पर ध्यान देने के लिए प्रशासनकि कार्रवाइयों का उपयोग करती हैं।

बाल सैनकिों की गैर-कानूनी भर्ती और उपयोग

बाल सैनकि मानव तस्करी का ऐसा रूप है जब सशस्त्र बलों द्वारा लड़ाकों या श्रम के अन्य रूपों में ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी या बल प्रयोग के माध्यम से बच्चों की गैर-कानूनी भर्ती या उपयोग कयिा जाता है। अपराधकर्ता सरकारी सशस्त्र बल, अर्धसैनकि संगठन या वद्रिोही समूह हो सकते हैं। लड़ाकों के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत से बच्चों का ज़बरदस्ती अपहरण कयिा जाता है। अन्यों से कुली, बावर्ची, गार्ड, नौकर, संदेशवाहक या जासूस के रूप में काम लयिा जाता है। युवा लड़कयिों को "ववािह करने" के लिए ववशि कयिा जा सकता है या कमांडरों और पुरुष लड़ाकों द्वारा उनसे बलात्कार कयिा जा सकता है। पुरुष और महलिा - दोनों बाल सैनकिों से सशस्त्र समूहों द्वारा प्रायः यौन रूप से दुर्व्यवहार या शोषण कयिा जाता है और ऐसे बच्चों को इसी प्रकार के बाल सेक्स तस्करी से जुड़े भयावह शारीरकि और मनोवैज्ञानकि परणिामों का सामना करना पड़ता है।